

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम
 मुं नं 63/15 तारीख 28-7-15

उन्वान - ओमवती देवी बनाम प्रेमसिंह देवें जैसनी
 दावा वास्तु तफारुमा व स्थायी निषेधाज्ञा

पारदी की ओर से श्री मनोज कुमार शर्मा Adv के दावा वास्तु
 तफारुमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत थपथ
 पत्र व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। दावा
 दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जीरिये सम्मन सेतलब
 कर दिनांक 11-8-15 को पेश हो।

1804-12
 28-7-15

उप जिला कलक्टर
 टोडाभीम (करीली)

11/8/15 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं 1 ता 6, 7, 8 से 10 की
 शामिल हो चुकी है। वास्तु सूचना उपासित नहीं।
 प्रतिवादी नं 7 की तामिल अप्राप्त है। वल्लेह तामिल इन्तजार।
 प० सा मिटिंग में पचारे है। आर्डर दिनांक 8-9-15 को
 पेश हो।

22/8/15 पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी नं 1 ता 6 की ओर से
 श्री रामगोपाली सुप्रा Adv से तफारुमा पेश किया।
 एवं 8 से 10 की सर्व में शामिल हो चुकी है। वास्तु सूचना
 उपर गठी इसलिए इनके विपक्ष एक पक्षीय कार्यवाही
 की जाती है। प्रतिवादी नं 7 की तामिल अप्राप्त है। वल्लेह
 तामिल इन्तजार व जबाब दिनांक 28-9-15 को पेश हो।

28/9/15 वक्तुलाय उपन वादी वकील प्रतिवादी नं 7 का तफारुमा
 पुनः पेश करा। ता 6 की ओर से जबाब पेश हो।
 आर्डर दिनांक 2-11-15 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

क्रमांक


फर्द अहकाम

~~14.8.19~~ वकूलाय उप। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 16.9.19 को पेश

से।


16.9.19 वकूलाय उप। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक

15-10-19 को पेश हो।




15.10.19

वकूलाय उपस्थित/पीएसन अधिकारी
 अवकाश पर है। अतः पत्रावली गताबुसार
 दिनांक 19.11.19 को पेश हो।

19.11.19

पत्रावली पेश हुई। वकील समय पर उपस्थित नहीं
 थी कई बार रुक-रुक कर आवाज दिलाई गई फिर
 भी वादी एवं वादी वकील उपस्थित नहीं हैं तथा वकील
 काउन्टर क्लेम कर्ता एवं प्रतिवादीगण भी उपस्थित नहीं
 थी अतः यह दावा मय काउन्टर क्लेम अदम हाजिरी
 एवं अदम पैरवी में स्वारिज किया जाता है पत्रावली
 फेरल नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दाखिल
 दफ्तर है।


 उपजिला कलेक्टर
 टोडाभीम (कसैली)

